"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2005—पौष 2, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 (पौष 2, 1927)

क्रमांक-14546/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 30 सन् 2005), जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 30 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-5 क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा-5 क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित की जाय, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक सदस्य भारत वर्ष के भीतर एक वित्तीय वर्ष में रुपये एक लाख पच्चीस हजार किराये की सीमा तक निःशुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा. ऐसे सदस्य को, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाय, रेल यात्रा के लिए रेल्वे कूपन भी उपलब्ध कराये जायेंगे."

(2) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ अधिकतम रुपये सत्तर हजार किराये की सीमा तक हवाई यात्रा कर सकेगा. रेल एवं हवाई यात्रा पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में रुपये एक लाख पच्चीस हजार से अधिक का नहीं होगा.

परन्तु यह और भी कि ऐसे सदस्य इस सुविधा के लिए दिनांक 15-2-2005 से हकदार होंगे."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा की सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति द्वारा कतिपय सिफारिशों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा-5 क में यथोचित रूप से संशोधन किया जाय.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
तारीख 20-12-2005

अजय चन्द्राकर
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 45,50,000/- (रुपये पैंतालीस लाख पचास हजार) केवल का अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय भार आवेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 की धारा 5-क (1) का सुसंगत उद्धरण :—

* *

धारा-5 क (1) प्रत्येक सदस्य, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाय, भारत वर्ष के भीतर नि:शुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा और रेल यात्रा के संबंध में उसे कूपन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उपरोक्त यात्रा पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख पच्चीस हजार रुपये से अधिक की व्यय नहीं होगा,

परन्तु, प्रत्येक सदस्य केवल पांच आने-जाने की हवाई यात्रा का हकदार होगा.

परन्तु, यह भी कि प्रत्येक सदस्य रेल यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा.

परन्तु यह और कि समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों द्वारा की गई यात्रायें इस उपधारा में उल्लेखित वित्तीय सीमा से बाहर रहेंगी.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.